राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

{कॉर्पोरेट पहचान सं. **(CIN) : L40109RJ2000SG016485**}
पंजीकृत कार्यालयः "विद्युत भवन", जनपथ, जयपुर 302005
दूरभाष 0141–2740381/82, वेब साईट http://energy.rajasthan.gov.in/rvpnl

क्रमांक रा.रा.वि.प्र.नि./कार्मिक/पत्रा. 6(180)185/प्रे. 595 जयपुर, दिनांक 16-1-2020

परिपत्र

अनुसूचित क्षेत्र के निवासियों के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के अनुरूप "राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम अनुसूचित क्षेत्र अभियांत्रिकी, मंत्रालयिक और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) विनियम, 2017" जारी किये गये हैं (तकनीकी कामगार भी सम्मिलित हैं)। सरकार द्वारा अधिसूचित राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में से उदयपुर, सिरोही, बांसवाडा, डुंगरपुर और प्रतापगढ़ जिले में ही प्रसारण निगम के कार्यालय स्थित है।

अतः विनियम संख्या 6 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार उदयपुर, सिरोही, बांसवाडा, डुंगरपुर और प्रतापगढ़ अनुसूचित क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों से इस आशय के विकल्प पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं कि क्या वे भविष्य में उदयपुर, सिरोही, बांसवाडा, डुंगरपुर और प्रतापगढ़ अनुसूचित क्षेत्रों की नवगठित सेवा में ही कार्यरत रहना चाहते हैं अथवा अनुसूचित क्षेत्र से बाहर कार्य करना चाहते हैं। इसी प्रकार अनुसूचित क्षेत्र से बाहर कार्यरत निगम कर्मचारियों, जो अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी हैं तथा उदयपुर, सिरोही, बांसवाडा, डुंगरपुर और प्रतापगढ़ अनुसूचित क्षेत्रों में कार्य करने के इच्छुक हैं, से भी इस बाबत विकल्प पत्र मांगे जा रहे हैं। समस्त इच्छुक कर्मचारियों को अपने विकल्प पत्र इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के भीतर अर्थात 31.01.2020 तक प्रस्तुत करने होगें, इस सम्बन्ध में निम्न दिशा–निर्देश जारी किये जाते है:–

1. निगम के अनुसूचित क्षेत्र सेवा विनियमों में शामिल कनिष्ठ अभियांत्रिकी, मंत्रालयिक, चतुर्थ श्रेणी एवं तकनीकी कामगार सेवाओं के स्वीकृत पदों का अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र (Non-TSP Area) में कैडर विभाजन कर, दोनों क्षेत्रों के लिए अलग–अलग स्वीकृत पदों की संख्या को आदेश संख्या 287 दिनांक 08.01.2020 द्वारा जारी कर दिया गया है।
2. निगम में वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों से उदयपुर, सिरोही, बांसवाडा, डुंगरपुर और प्रतापगढ़ अनुसूचित क्षेत्रों की नवगठित सेवा में निम्न पदों/संवर्गों पर रहने अथवा न रहने के संबंध में संलग्न प्रारूप में विकल्प पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं:–

   i. कनिष्ठ अभियंता
   ii. मंत्रालयिक संवर्ग
   iii. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संवर्ग
   iv. तकनीकी कामगार

3. विनियम 6 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार उदयपुर, सिरोही, बांसवाडा, डुंगरपुर और प्रतापगढ़ अनुसूचित क्षेत्रों में सृजित उक्त पदों पर कार्यरत कनिष्ठ अभियंता, मंत्रालयिक, चतुर्थ श्रेणी एवं तकनीकी कामगार के सभी कर्मचारियों द्वारा विकल्प पत्र (परिशिष्ठ–'अ' में) दिये जाने आवश्यक हैं

जिसमें वे इस आशय का विकल्प देंगे कि क्या वे भविष्य में अनुसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत कार्यरत रहना चाहते हैं अथवा अनुसूचित क्षेत्र के बाहर कार्य करना चाहते हैं।

4. अनुसूचित क्षेत्र से बाहर कार्यरत निगम कर्मचारी जो अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी हैं तथा उदयपुर, सिरोही, बांसवाडा, डुंगरपुर और प्रतापगढ़ अनुसूचित क्षेत्रों में कार्य करने को इच्छुक है वह परिशिष्ट 'ब' में दिये गये प्रारूप में विकल्प प्रस्तुत करेंगे। ऐसे कार्मिको का स्थानान्तरण अनुसूचित क्षेत्र में उपलब्ध रिक्त पदों पर वरिष्ठता के आधार पर ही किया जाएगा।
5. अनुसूचित क्षेत्र में उक्त पदों/संवर्गों में कार्यरत कनिष्ठ अभियंता, मंत्रालयिक, चतुर्थ श्रेणी एवं तकनीकी कामगार सेवा के जो कर्मचारी अनुसूचित क्षेत्र से बाहर जाने का विकल्प देंगे उन कार्मिकों के स्थान पर वैकल्पिक कर्मचारी के कार्यभार ग्रहण कर लेने के बाद उनका अनुसूचित क्षेत्र के बाहर स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति किया जायेगा।
6. जो कार्मिक गैर अनुसूचित क्षेत्र से अनुसूचित क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु अपना विकल्प पत्र प्रस्तुत करेंगें उनके आवेदनों का प्राथमिकता से निस्तारण किया जायेगा।
7. अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थापित जो कार्मिक, अनुसूचित क्षेत्र से बाहर जाने का विकल्प देंगे, उनके पदों की गणना रिक्त पदों के विरूद्ध की जाकर परिणामिक रूप से उपलब्ध रिक्त पदों पर भर्ती की जावेगी तथा भर्ती के पश्चात वैकल्पिक कार्मिको के कार्यभार ग्रहण करने पर ऐसे कर्मचारियों का स्थानान्तरण अनुसूचित क्षेत्र के बाहर उपलब्ध पदों पर वरिष्ठता के आधार पर किया जायेगा।
8. उदयपुर, सिरोही, बांसवाडा, डुंगरपुर और प्रतापगढ़ अनुसूचित क्षेत्रों की इन नवगठित सेवाओं हेतु विकल्प पत्र देने एवं उन पर अंतिम रूप से निर्णय होने के पश्चात, अर्थात पूर्व से ही मौजूद कर्मचारियों में से उक्त नवीन सेवा में उदयपुर, सिरोही, बांसवाडा, डुंगरपुर और प्रतापगढ़ अनुसूचित क्षेत्रों में अन्तिम रूप से रहने वाले कार्मिकों तथा स्थानान्तरण से आने वाले नये कार्मिकों को शामिल करते हुए पदवार वरिष्ठता सूचियाँ तैयार की जावेगीं।
9. अनुसूचित क्षेत्र के सभी कनिष्ठ अभियंताओं, मंत्रालयिक, चतुर्थ श्रेणी एवं तकनीकी कामगार सेवाओं और उनमें विद्यमान एवं भविष्य में सृजित होने वाले सभी पदो के बाद में (Suffix) कोष्ठक में 'अनु. क्षेत्र' (Scheduled Area) अलग से जोड़ा जावेगा जबकि गैर अनुसूचित क्षेत्र में सेवा/पदनाम यथावत रहेंगे।
10. बिना विकल्प पत्र के अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में तथा इसके विपरीत कोई भी स्थानान्तरण किया जाना निषिद्ध है। अनुसूचित क्षेत्र में रहने का विकल्प चुनने वालों को अनुसूचित क्षेत्र से बाहर स्थानान्तरण किया जाना पूर्णतः निषिद्ध है।
11. जो कर्मचारी उदयपुर, सिरोही, बांसवाडा, डुंगरपुर और प्रतापगढ़ अनुसूचित क्षेत्रों में रहने का विकल्प देते हैं उनका इस विशिष्ट सेवा विनियमों के अन्तर्गत रहने तक उक्त अनुसूचित क्षेत्र से बाहर स्थानान्तरण/पदस्थापन नहीं किया जायेगा।
12. नवगठित अनुसूचित क्षेत्र सेवा एक Close Cadre होगी। अनुसूचित क्षेत्र के जो कार्मिक अनुसूचित क्षेत्र से बाहर जाने का विकल्प देंगे, उन्हें किसी भी प्रयोजनार्थ अनुसूचित क्षेत्र की नवगठित सेवा का सदस्य नहीं माना जावेगा क्योंकि विहित प्रक्रिया अनुसार उनके विकल्प के आधार पर उन्हें अनुसूचित क्षेत्र से बाहर स्थानान्तरित किया जायेगा।
13. अधिसूचित क्षेत्र के स्वीकृत पदो के अनुसार पदोन्नति समिति की बैठकें पृथक से आयोजित कर पदोन्नतियाँ की जायेगी।
14. अधिसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र, दोनों की रिक्तियों के लिए आरक्षण एवं मेरिट का निर्धारण और उनके रोस्टर रजिस्टरों का संधारण पृथक-पृथक होगा।

15. अनुसूचित क्षेत्र की इस नवगठित सेवा से गैर अधिसूचित क्षेत्र सेवा में पदोन्नती के समय अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र में नियुक्त कर्मचारियों की इकाई पारस्परिक वरिष्ठता का निर्धारण निम्न प्रकार किया जायेगाः–

1) चयन वर्ष
2) चयन क्रमांक (यदि चयन संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा से हुआ हो)
3) सेवा अवधि (Length of Service)

16. उदयपुर, सिरोही, बांसवाडा, डुंगरपुर और प्रतापगढ़ अनुसूचित क्षेत्रों में उक्त पदों पर कार्यरत समस्त कर्मचारियों को निर्धारित प्रारूप में अपना विकल्प पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है चाहे वहाँ कार्यरत कोई कर्मचारी अनुसूचित क्षेत्र में अपना पदस्थापन चाहता है अथवा गैर अनुसूचित क्षेत्र में। तथापि गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थापित केवल उन कर्मचारियों को ही अपना विकल्प पत्र प्रस्तुत करना है जो उदयपुर, सिरोही, बांसवाडा, डुंगरपुर और प्रतापगढ़ अनुसूचित क्षेत्रों की नवगठित सेवा में अपना पदस्थापन चाहते हैं तथा ऐसे कर्मचारियों को अपने अनुसूचित क्षेत्र के मूल निवासी होने के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक होगा।
17. निगम के कर्मचारियों के लिए उदयपुर, सिरोही, बांसवाडा, डुंगरपुर और प्रतापगढ़ अनुसूचित क्षेत्रों की नवगठित सेवा के Close Cadre में आने एवं बाहर निकलने हेतु विकल्प पत्र भरने का यह प्रथम एवं अन्तिम अवसर है। नियत अन्तिम तिथि के पश्चात प्राप्त किसी भी कर्मचारी के ऐसे किसी भी विकल्प / प्रार्थना पत्र विचार नहीं किया जावेगा।
18. सीधी भर्ती हेतु अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के लिए केवल अनुसूचित क्षेत्र के निवासी ही पात्र होंगे, जबकि गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के लिए अनुसूचित क्षेत्र सहित सम्पूर्ण राजस्थान एवं राजस्थान के बाहर के निवासी भी पात्र होंगे।
19. जिन कर्मचारियों को राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम अनुसूचित क्षेत्र अभियांत्रिकी, मंत्रालयिक और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्ते) विनियम, 2017 (तकनीकी कामगार भी सम्मिलित हैं) के विनियम संख्या 6 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र की सेवा में उनके द्वारा दिये गये विकल्प पत्र के आधार पर समाहित किया जायेगा उनकी सेवा पुस्तिका में अनिवार्य रूप से निम्न प्रविष्टि किया जाना आवश्यक हैः–

(सेवा पुस्तिका में 'प्रविष्टि' का प्रारूप)

"राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम अनुसूचित क्षेत्र अभियांत्रिकी, मंत्रालयिक और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्ते) विनियम, 2017 (तकनीकी कामगार भी सम्मिलित हैं) एवं निगम के परिपत्र क्रमांक : रा.रा.वि.प्र.नि. / कार्मिक / पत्रा.6(180)185 / प्रे............दिनांक....................की अनुपालना में श्री / सुश्री .... (कर्मचारी का नाम) द्वारा दिये गये विकल्प पत्र के आधार पर इनका समायोजन (absorption) विनियम, 2017 के विनियम–6 के तहत अनुसूचित क्षेत्र की उक्त सेवा में .... (पद का नाम) पर किया जा चुका है।"

हस्ताक्षर मय
कार्यालय सील

20. सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों के प्रयोजनार्थ "अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो–

(क). 1 जनवरी, 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र का सद्भावी निवासी है;

(ख). यदि उसका जन्म 1 जनवरी, 1970 के बाद हुआ है तो उसके माता–पिता 1 जनवरी, 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी रहे है और वह अपने जन्म से अनुसूचित क्षेत्र का सद्भावी निवासी है; या

(ग). उक्त खण्ड (क) या (ख) के अन्तर्गत आने वाले किसी व्यक्ति से विवाह द्वारा संबंधित है और वह अपने विवाह के बाद से अनुसूचित क्षेत्र का सद्भावी निवासी है।

(श्याम सिंह शेखावत)
सचिव (प्रशासन)

प्रतिलिपि निम्न को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 श्रीमान मुख्य/अति. मुख्य अभियंता(______), रा.वि.प्र.नि., जयपुर / अजमेर / जोधपुर को प्रति भेजते हुए लेख है कि विकल्प पत्र इस परिपत्र के जारी होने की तिथि से **15** दिवस के अंदर इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

2 श्रीमान कम्पनी सचिव, रा.वि.प्र.नि., जयपुर।

3 श्रीमान अधिक्षण अभियंता (__________), रा.वि.प्र.नि.,__________.

4 श्रीमान संयुक्त विधि परामर्श दात्री, रा.वि.प्र.नि., जयपुर।

5 श्रीमान उप निदेशक कार्मिक (T&C) रा.वि.प्र.नि., जयपुर/अजमेर/जोधपुर ।

6 श्रीमान मुख्य लेखा निंयत्रक, (P&F) रा.वि.प्र.नि., जयपुर।

7 श्रीमान मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी, (_______), रा.वि.प्र.नि.,________ ।

8 श्रीमान क्षेत्रीय लेखाधिकारी, (________), रा.वि.प्र.नि.,________ ।

9 श्रीमान कार्मिक अधिकारी/लेखाधिकारी (T&C/Civil) रा.वि.प्र.नि., __________

10 श्रीमान निजि सहायक–अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय, रा.वि.प्र.नि., जयपुर।

11 श्रीमान निजि सहायक–निदेशक (__________), रा.वि.प्र.नि., जयपुर।

12 कार्यालय आदेश फाईल।

15/1/2020

(अमिताभ गुप्ता)
मुख्य कार्मिक अधिकारी

विकल्प पत्र–"अ"

(वर्तमान में उदयपुर, सिरोही, बांसवाडा, डुंगरपुर और प्रतापगढ़ अनुसूचित क्षेत्रों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों द्वारा भरे जाने हेतु)

राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम अनुसूचित क्षेत्र अभियांत्रिकी, मंत्रालयिक और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) विनियम, 2017 एवं निगम के परिपत्र क्रमांक : रा.रा.वि.प्र.नि. /कार्मिक/पत्रा.6(180)185. .... दिनांक ....की अनुपालना में, मैं (नाम).. पुत्र/पुत्री श्री .... वर्तमान पद .... कर्मचारी पहचान संख्या............................कार्यालय/विद्युत गृह का नाम .... यह विकल्प देता/देती हूँ कि:–

(1). मैं उदयपुर, सिरोही, बांसवाडा, डुंगरपुर और प्रतापगढ़ अनुसूचित क्षेत्रों की नवगठित सेवा में कार्यरत रहना चाहता/चाहती हुँ।

अथवा

मैं उदयपुर, सिरोही, बांसवाडा, डुंगरपुर और प्रतापगढ़ अनुसूचित क्षेत्रों की नवगठित सेवा के बाहर अपना पदस्थापन चाहता/चाहती हुँ।

(2). मैं राजस्थान राज्य हेतु अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र में ....(ग्राम)..................... (ग्राम पंचायत) ....(तहसील) ....(जिला) का मूल निवासी हूँ जिसके समर्थन में राजस्थान सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण सलग्न है।

अथवा

मैं ....(जिला) ....(राज्य) का मूल निवासी हूँ।

(अपने विकल्प को स्पष्टतः चिन्हित करें)

संलग्न :– विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र

दिनांक:– हस्ताक्षर

नाम–
पद–
पदस्थापन कार्यालय–

प्रति हस्ताक्षर
(संबधित नियंत्रण अधिकारी)

नोट:– संबंधित नियंत्रण अधिकारी उक्त विकल्प पत्र को संबंधित मुख्य/अति. मुख्य अभियन्ता के माध्यम से मुख्य कार्मिक अधिकारी के कार्यालय में पहूँचाना सुनिश्चित करेंगे।

विकल्प पत्र– 'ब'

(वर्तमान में उदयपुर, सिरोही, बांसवाडा, डुंगरपुर और प्रतापगढ़ अनुसूचित क्षेत्रों के बाहर पदस्थापित ऐसे कर्मचारियों हेतु जो उदयपुर, सिरोही, बांसवाडा, डुंगरपुर और प्रतापगढ़ अनुसूचित क्षेत्रों की नवगठित सेवा में आना चाहते है।)

राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम अनुसूचित क्षेत्र अभियांत्रिकी, मंत्रालयिक और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्ते) विनियम, 2017 एवं निगम के परिपत्र क्रमांक : रा.रा.वि.प्र.नि. /कार्मिक/पत्रा.6(180)185 .... दिनांक ....की अनुपालना में, मैं (नाम).. .... पुत्र/पुत्री श्री .... वर्तमान पद .... कर्मचारी पहचान संख्या .... कार्यालय/विद्युत गृह का नाम .... यह विकल्प देता/देती हूँ कि:–

(1). मैं उदयपुर, सिरोही, बांसवाडा, डुंगरपुर और प्रतापगढ़ अनुसूचित क्षेत्रों की नवगठित सेवा में स्थानान्तरण चाहता/चाहती हुँ।

(2). मैं राजस्थान राज्य हेतु अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र में ....(ग्राम)............................ (ग्राम पंचायत) ....(तहसील) ....(जिला) का मूल निवासी हूँ जिसके समर्थन में राजस्थान सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण सलग्न है।

संलग्न :– विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र

दिनांक:– हस्ताक्षर

नाम–
पद–
पदस्थापन कार्यालय–

प्रति हस्ताक्षर
(संबधित नियंत्रण अधिकारी)

नोट:– संबंधित नियंत्रण अधिकारी उक्त विकल्प पत्र को संबंधित मुख्य/अति. मुख्य अभियन्ता के माध्यम से मुख्य कार्मिक अधिकारी के कार्यालय में पहूँचाना सुनिश्चित करेंगे।